title: Need to release Central Government's share under J.N.N.U.R.M. scheme.

भी हुकुम शिंह (कैशना) : महोदय, जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत नगर विकास की एक योजना है और इसकी ही एक उपयोजना यू.आई.जी. हैं। जो उत्तर पूर्देश के सात नगरों तसन्तर, कानपुर, आगरा, इताहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा में चत रही हैं। इस योजना का 10 प्रतिश्रत पैसा केन्द्र सरकार ने अब तक रितीज नहीं किया हैं। उसके रितीज न होने से इन तमाम योजनाओं पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ रहा हैं। इसके तिए निगरानी समिति हुई। निगरानी समिति ने भी कहा कि काम ठीक हो रहा हैं। इसके बाद तारीख दी गई तेकिन तारीख देने के बावजूद भी पैसा आज तक नहीं मिता। मेरा आगृह हैं कि इसका पैसा तुरंत रितीज़ किया जाए। इसके साथ-साथ मेरे दो सुझाव हैं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के तहत सृजित परिसम्पतियों के अनुरक्षण की लागत को भी परियोजना लागत में शामिल कर लिया जाए तथा तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार से निधियों की किरतों की प्राप्ति में वितम्ब के कारण परियोजना की लागत बढ़ रही हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, राज्य सरकार को अपने संसाधनों से ही बढ़ी हुई लागत को सहन करना होता हैं। अतः बढ़ी हुई लागत को केन्द्र तथा राज्य सरकार को आनुपालिक आधार पर वहन करना चाहिए।

परियोजनाओं के अंतर्गत जरूरी भूमि के अधिगृहण की लागत, परियोजना लागत में शामिल कर ती जानी चाहिए तथा इसे समानुपातिक आधार पर वहन करना चाहिए। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यकृम की शहरी परिवहन उपयोजना के अंतर्गत आवश्यक अवसंख्वा अर्थात् बस डिपो, कार्यशाला, जंवशन आदि के विकास की लागत को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए।